राज एक्सप्रेस परिवार के पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुई विधायक उषा ठाकुर

एक-एक पौधा लगाकर लें उसके संरक्षण का संकल्प

विधायक ने छायादार व फलदार पौधे रोपे

● महू/ राज न्यूज नेटवर्क

सभी फोटो : पवन बड़ोनिया

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज एक्सप्रेस परिवार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आओ बचें अपना संसार - एक पौधा जरूर लगाएं अभियान का शुभारंभ किया। पूरा मध्य प्रदेश एक साथ एक दिन एक संकल्प की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश भर में हरित क्रांति लाना और लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक सुश्री उषा ठाकुर रहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारी धरोहर है। एक पेड़ सौ पुत्रों के समान होता है। यदि हम आज एक-एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करने का संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी दे पाएंगे। राज एक्सप्रेस की इस पहल के लिए राज एक्सप्रेस परिवार की सराहना भी की। महू में यह कार्यक्रम भैया जी मार्ग स्थित मदर मैरी स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया। यहां विधायक उषा ठाकुर ने अपने हाथों से फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। उन्होंने आम, जामुन, नीम और पीपल जैसे पर्यावरण के लिए लाभकारी पौधे लगाए। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने विधायक सुश्री ठाकुर के साथ लगाए गए पौधों की देखभाल करने और उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजने का सामूहिक संकल्प लिया। बता दे कि कार्यक्रम के पूर्व सुश्री उषा ठाकुर राज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ मनोज जैन के घर आधे घंटे तक रुकी, जहां उन्होंने स्वपहार लिया। इसके बाद वे पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंची।

ये अतिथि उपस्थित रहे

इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष सरदार मालवीय, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष महेश यादव, युवा नेता अमित जोशी, भाजपा नेता सुनील यादव, एडवोकेट रोहित महेश्वरी, एडवोकेट विक्की परदेसी, राहुल चौहान, युवा नेता विपुल जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे, वही जैन समाज की महिला मंडल सचिव श्रीमती रचना जैन, श्रीमती साधना जैन ने भी पौधारोपण किया। इनके अलावा नीरज जैन, संजय जैन, राकेश चौधरी, राज एक्सप्रेस से पत्रकार अंकित निम, फोटोग्राफर पवन बडोनिया भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं समापन राज एक्सप्रेस ब्यूरो चीफ मनोज जैन ने किया। उन्होंने अंत में सभी अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनसमुदाय का आभार व्यक्त किया।

करोड़ों की सरकारी जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

राजस्व की अब तक की बड़ी कार्रवाई

● महू/ राज न्यूज नेटवर्क

तहसील के ग्राम दतोदा में शुक्रवार को राजस्व विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासनिक अमले ने करीब 12 हेक्टेयर शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। इसकी बाजार मूल्य के अनुसार अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर शाम 6 बजे तक लगातार जारी रही। कार्रवाई एसडीएम राकेश परमार के नेतृत्व में नायब तहसीलदार यशदीप रावत की टीम ने की। एसडीएम परमार ने कहा शासकीय भूमि पर कब्जा करना एक गंभीर व दंडनीय अपराध है। जहां भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाया जाएगा और कब्जाधारियों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

पत्थर गाड़ने की कार्रवाई

प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मुक्त कराई गई जमीन पर तुरंत सीमांकन कर पत्थर गाड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत को जमीन को सुरक्षित करने के लिए तत्काल खंभे लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक अकेले दतोदा ग्राम में करीब 800 एकड़ सरकारी जमीन है, जिस पर आगे भी अभियान चलाया जाएगा।

करोड़ों रुपए की जमीन मुक्त कराकर विकास कार्य को मिलेगी गति

नायब तहसीलदार यशदीप रावत ने बताया कि करोड़ों की जमीन के मुक्त होने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। भविष्य में इस भूमि का उपयोग शासकीय योजनाओं, स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल मैदान या अन्य सार्वजनिक व विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा। तहसीलदार ने ग्रामीणों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी हो, तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें। कार्रवाई के दौरान मौके पर तहसीलदार महू विवेक सोनी,पटवारी मुंडाराम, प्रमोद बरेलीया, अमित सरवन और ग्राम कोटवार सहित बड़ी संख्या में राजस्व अमला मौजूद रहा।

बारिश की शुरुआत में ही रेलवे ओवरब्रिज मार्ग के हाल खराब

कीचड़, गड्ढों और जलभराव से भारी परेशानी

● महू/ राज न्यूज नेटवर्क

महू-किशनगंज रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन बारिश की शुरुआत होते ही निर्माण स्थल से गुजरने वाले मार्ग की हालत खराब हो गई है। इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग आवागमन करते हैं, जिन्हें कीचड़, गड्ढों और जलभराव के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि बारिश से पहले ही कई बार संबंधित विभाग, निर्माण एजेंसी और प्रशासन को मार्ग की स्थिति सुधारने के लिए अवगत कराया गया था। मीडिया के माध्यम से भी समय रहते चेतावनी दी गई थी कि मानसून शुरू होने से पहले आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली जाएं, लेकिन इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। अब बारिश शुरू होते ही मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते मार्ग की मरम्मत और उचित व्यवस्था नहीं की गई तो किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है।

इंतजाम क्यों नहीं किए

क्षेत्रवासियों का कहना है कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी और उसके इंजीनियरों को यह अंदाजा होना चाहिए था कि बारिश के मौसम में इस मार्ग पर ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके बावजूद मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए और आसपास बड़ी-बड़ी दीवार बना दी आगे क्या होगा भगवान जाने।

संकल्प के साथ कान्ह सरस्वती पुनर्जीवन महाअभियान प्रारंभ

● इंदौर/ राज न्यूज नेटवर्क

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृष्णपुरा छत्री घाट पर अभ्यास मंडल एवं कान्ह-सरस्वती नदी पुनर्जीवन अभियान समिति ने नदी पुनर्जीवन महाअभियान का शुभारंभ जनसहभागिता के साथ किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं, महिला मंडलों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए नदी संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर रामेश्वर गुप्ता ने अभियान के प्रतिज्ञा-पत्र का वाचन करते हुए उपस्थित नागरिकों से नदी, जलस्त्रोतों एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं डॉ. ओपी जोशी ने सभी उपस्थितजनों को पर्यावरण एवं नदी संरक्षण की शपथ दिलाई।

अंतिम संस्कार कराने वाले और गो सेवकों का सम्मान हंसदास मठ में कल

इंदौर। श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा पिछले 20 वर्षों से श्मशान घाट पर आने वाले पार्थिव शरीरों को अंतिम संस्कार की तैयारी में मदद तथा गोशालाओं में बीमार-बुजुर्ग गायों की सेवा करने वाले एक दर्जन लोगों का सम्मान रविवार की शाम हंसदास मठ पर होगा। समिति के अध्यक्ष हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि सम्मान समारोह स्वामी रामचरणदास, महंत पवनदास एवं अखंड धाम के डॉ. स्वामी चेतन स्वरुप के सानिध्य में होगा।

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाऊसिंग फायनेंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं वाणिज्यिक कार्यालय :- 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013
मंडल कार्यालय :- 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र पैलेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट–IV–A नियम 8 (6) और 9 (1) के परंतुक देखें,

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 (6) और 9 (1) के प्रतिभूति परंतुक के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस, जिसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि नीचे दी गई चल संपत्ति, जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी के पास सामान्य रूप से और विशेष रूप से उधारकर्ता (ऋण) के पास बंधक/परिवर्तित है और जिसका वास्तविक भौतिक कब्जा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, को ''जहां है जैसी है'', "जो है जैसी है" और "जो भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित तिथियां, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सुरक्षित सृजन के कारण नीचे उल्लिखित नहीं हैं। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि और संपत्ति का विवरण नीचे उल्लिखित किया गया है।

सं. क्र.	1. उधारकर्ता का नाम 2. बकाया राशि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	1. ई–नीलामी की तिथि और समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की अग्रिम राशि 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री कैलाश मिलाला ("उधारकर्ता") 2. श्रीमती सुनीता मिलाला (सह–उधारकर्ता) ऋण खाता सं. LNHLKHD000062665 (पुराना) / 50300000852548 (नया) रु. 16,18,149/– (रुपये सोलह लाख अठारह हजार एक सौ उनचास मात्र) दिनांक 24–03–2026 की स्थिति अनुसार, साथ में लागू भविष्य का ब्याज।	संपत्ति का वह पूरा भाग जो ड्रीम लैंड सिटी कॉलोनी में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 25/2, प्लॉट नंबर 256 है। इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है। यह पीएच नंबर 42, पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 13, चंद्रशेखर वार्ड, ग्राम और तहसील सनावद, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश 451111 में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर दूसरों की जमीन/प्लॉट, दक्षिण प्लॉट नंबर 255, पूर्व दूसरों की जमीन/प्लॉट, पश्चिम सड़क।	1. ई नीलामी तिथि: 25.06.2026 (दोपहर 3:00 से 4:00 बजे के बीच) 2. कोवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 24.06.2026 3. निरीक्षण की तिथि: 23.06.2026	आरक्षित मूल्य: रु. 7,00,000/– (रुपये सात लाख मात्र) जमा धरोहर राशि: रु. 70,000/– (रुपये सत्तर हजार मात्र) वृद्धिशील मूल्य: रु. 5,000/– (रुपये पांच हजार मात्र)

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.caprihomeloans.com/auction पर दिए गए लिंक को देखें।

ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें:–

1. संपत्ति ''जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहायता के'' के आधार पर बेची जा रही है, इसलिए बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
2. ई–नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात विस्तार और माप) सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं।
3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई–नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक निमंत्रण है और यह सुरक्षित लेनदार की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और बोली/ओं को प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के शीर्षक और वर्तमान स्थिति और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकाया के बारे में स्वतंत्र पूछताछ/उचित परिश्रम करें।
4. नीलामी/बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' के माध्यम से वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net या सेवा प्रदाता मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रदान किए गए ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी, जो ई–नीलामी मंच के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगा।
5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. ई–नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑक्शन टाईगर अहमदाबाद (संपर्क सूत्र 079–61200531/576/596/559/598/587/594/.), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाईल नं. 800–002–3297/79–6120 0559. ईमेल: ramprasad@auctiontiger.net से संपर्क करें।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को https://sarfaesi.auctiontiger.net पर अपना नाम पहले ही पंजीकृत करवाना होगा और उन्हें यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें।
8. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10% वापसी योग्य अग्रिम राशि जमा करनी होगी, जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में **24.06.2026 तक या उससे पहले डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस** के माध्यम से देय होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, **कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय यूनिट संख्या 101–103, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 103/4, कृष्णा टावर, स्कीम संख्या 140, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, पिपलियाने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश को 24.06.2026 को अपराह्न 03:00** बजे तक जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर ''उधारकर्ता का नाम'' की संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई–नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली'' लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और सुरक्षित लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन्हीं बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक के लिए ''10'' मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली लगाई जाती है, तो ई–नीलामी का समाप्ति समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा।
12. एक बार की गई बोलियां रद्द या वापस नहीं ली जाएंगी। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही की गई मानी जाएंगी।
13. ई–नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, **क्षेत्रीय कार्यालय इकाई क्रमांक 101–103, प्रथम तल, प्लॉट क्रमांक 103/4, कृष्णा टावर, स्कीम क्रमांक 140, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, पिपलियाने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश** और सेवा प्रदाता को ई–मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी।
14. सफल बोलीदाता को बिक्री के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) अपने पक्ष में जमा करना होगा और शेष 75% बोली राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होने पर, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री आय में से) (यदि लागू हो) के रूप में देना होगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अग्रिम राशि समायोजित करते हुए जमा करनी होगी, जिसके अभाव में अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और अन्य प्राधिकारियों का बकाया (यदि कोई हो) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सफल बोलीदाता द्वारा चुकाया जाना होगा। बोलियाँ संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएँगी।
19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र केवल संपूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने और सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. परिवहन, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएँगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकते हैं। यदि निर्धारित ई–नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से **15 दिन** पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है।
23. बोलियाँ प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनसे बाध्य होंगे।
24. संपत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई हो) बिक्री के साथ प्रस्तावित नहीं है।
25. कृपया ध्यान दें कि अकेले बिडर के हिस्सा न लेने पर जब्ती हो जाएगी। अगर धरोहर जमा करने के बाद सिर्फ एक बोलीकर्ता पात्र पाया जाता है, तो ऐसे बोलीकर्ता को तय तारीख और समय पर लॉग इन करना होगा और लाइव ई–ऑक्शन में हिस्सा लेना होगा। सिर्फ बिड फॉर्म जमा करना और धरोहर राशि जमा करना हिस्सा लेना नहीं माना जाएगा। अगर अकेला पात्र बोलीकर्ता किसी भी कारण से (ई–ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर की सर्टिफाइड टेक्निकल खराबी को छोड़कर) लॉग इन करने और लाइव ई–ऑक्शन में हिस्सा लेने में असफल हो जाता है, तो धरोहर राशि बिना किसी और नोटिस के अपने आप जब्त हो जाएगी, और प्राधिकृत अधिकारी बोलीकर्ता के प्रति किसी भी देयता के बिना नीलामी निरस्त करने और/या नई नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. **अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप दीक्षित, मोबाइल नं. 8989694769 और श्री अजीत कुमार, मोबाइल नं. 9910198552 से संपर्क करें।**
27. यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के अनुसार, उपर्युक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में **15 (पंद्रह)** दिनों का नोटिस भी है।

विशेष निर्देश/सावधानी: बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे कि बैकअप बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान: खरगौन दिनांक: 06–जून–2026

हस्ता/–(प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Bank of India
रिश्तों की जमापूंजी
Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय : स्टार हाउस, प्लॉट नं. 58 और 59, वंसत विहार कॉलोनी, वार्ड नं. 4, धार (म.प्र.)
मोबाईल नं. 9764735730, 8787277135

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

ई-नीलामी विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को और विशेष रुप से उधार लेने वाला और जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि निम्न वर्णित सारणी के कॉलम 3 में उल्लिखित अचल संपत्तियों जो **प्रतिभूत लेनदार (बैंक ऑफ इंडिया)** के पास गिरवी / प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **''जहां है ,जैसा है और जो कुछ भी है ''** के आधार पर निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में उल्लिखित ऋणीयों एवं जमानतदारों से बैंक ऑफ इंड़िया (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नलिखित तालिका के कॉलम 4 में उल्लिखित राशि की वसूली हेतु **दिनांक 25.06.2026** को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं जमा योग्य अग्रिम धनराशि तालिका के कॉलम 6 व 7 में क्रमश: दी गई है।

ई–नीलामी दिनांक - 25.06.2025, समय– प्रात: 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

शाखा का नाम (1)	ऋणी / जमानतदार का नाम (2)	संपत्तियों का विवरण व स्वामी का नाम (3)	मांग सूचना 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक व बकाया राशि (4)	आधिपत्य की दिनांक व प्रकार (5)	आरक्षित राशि (रु.) (6)	ईएमडी (7)
राजपुर शाखा	श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार	संपत्ति के सभी अंग सेटलमेंट नं. 156, सर्वे नं. 411/20, वार्ड नं. 2, नवलपुरा, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी (म.प्र.), **संपत्ति मालिक : श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार, प्लॉट एरिया – 750 स्के.फीट,, संपत्ति मालिक : श्री संजय पाटीदार पिता श्री कोटियाजी पाटीदार (ऋणी), चतुर्सीमा : पूर्व :** प्राईम एकेडमी स्कुल, **पश्चिम :** पब्लिक रोड़, **उत्तर :** विक्रेता की बची हुई भूमि, **दक्षिण:** विक्रेता की बची हुई भूमि,	01.10.2022 **30,97,708.20** + ब्याज एवं अन्य खर्च	29.08.2024 भौतिक	₹ **21.50** लाख	₹ **2.15** लाख
मुलथान शाखा	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रशर, प्रोप्रा. श्री जितेन्द्र सिंह पिता उदय सिंह राठौर	संपत्ति के सभी प्रमुख अंग फ्लेट / प्लॉट नं. 10 वार्ड नं. 04, सरदार पटेल मार्ग, बदनावर जिला धार, पंजीयन के अंतर्गत उप जिला बदनावर एवं जिला धार, **संपत्ति मालिक : श्रीमती प्रभु कुंवर पति उदयसिंह राठौर (जमानतदार), चतुर्सीमा :** उत्तर : गौरीशंकर शर्मा का मकान, **दक्षिण :** धन्नालाल जैन का मकान एवं कालिका मंदीर, **पूर्व :** सरकारी गली , **पश्चिम :** मानकलाल जैन का मकान	06.12.2018 **6,22,292.60** + ब्याज एवं अन्य खर्च	14.02.2023 भौतिक	₹ **16.00** लाख	₹ **1.60** लाख

क्रेता के द्वारा स्टाम्प शुल्क, बिक्री प्रमाण पत्र शुल्क, पंजीकरण शुल्क, टी.डी.एस. सरकार को देय सभी वैधानिक बकाया, कर और दरों और संपत्तियों से संबंधित कोई अन्य खर्च, मौजूदा और भविष्य, दोनों के लिए देय होगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।

ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट **https://baanknet.com,** बोलीकर्ता **https://baanknet.com**, नियम व शर्तो की अधिक जानकारी हेतु शैक्षणिक वीडियो के साथ देख सकते है। बोलीकर्ता को पूर्व में ही बोली पंजीयन की सभी औपचारिकताएं पूर्ण करना अनिवार्य है।

ए. सफल बोलीकर्ता को घोषणा के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का **25 %** (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) जमा करना होगा।

बी. नीलामी- बिक्री की कार्यवाही में बैंकिंग लेनदेन का समय समाप्त होने के पश्चात, खरीद मूल्य का **25 %** (पहले से भुगतान की गई ईएमडी घटाकर) अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा।

सी. बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान बिक्री की दिनांक से 15 वें (पंद्रहवें) दिन को या उससे पहले या ऐसी अवधि, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कारण दर्ज कर बढ़ाया गया हो, के भीतर जमा किया जाना होगा।

डी. उपर उल्लिखित अवधि के भीतर भुगतान न करने पर, जमा और बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा।

इ. सफल बोलीकर्ता की यह जिम्मेदारी होगी की आयकर अधिनियम की धारा **194-IA** के तहत लागू **1 %** की दर से टीडीएस जमा करना होगा, यदि इस तरह के प्रतिफल के लिए जमा या भुगतान की गई राशि का योग रु. 50 लाख या अधिक है। टीडीएस को फार्म **26QB** आनलाईन भरकर जमा कराना होगा और टीडीएस सर्टिफिकेट फार्म **16B** में जारी करना होगा। खरीदार को सरकारी खाते मे आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

एफ. बोली केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत की जाएगी।

जी. प्राधिकृत अधिकारी का उक्त ई-नीलामी को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

एच. आरक्षित मूल्य से कम से कम एक वृद्धि राशि जोडने पर ही बोली स्वीकार होगी।

दिनांक: 06.06.2026, स्थान : धार

प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इंडिया